27/5/28	पत्रावली पेश हुई दा० पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकारी को आदेश दिये जाते हैं कि विस्तृत निर्णय टंकण से लिखवाकर जारी आदेशित पत्रावली किया गया। पत्रावली दैनिक सुनवाई होकर नकल (?) व नकल होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।
	उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना (आर.ए.एस)

मु0/न0	किस्म मुकदमा	तारीख रजू	तारीख फैसला
20/26	128 एलआर एक्ट	09.03.26	27.04.2026

उनवान

1. रामनिवास पुत्र मांगी लाल आयू 40 साल
2. विमलेश पत्नि रामनिवास आयू 38 साल
3. विद्या पुत्रि कैलाश आयू 39 साल

} जाति गुर्जर निवासी राजपुर तहसील व जिला करौली राज0

4. कल्याणी पत्नि बदन सिंह आयू 50 साल जाति गुर्जर निवासी सारियान का पुरा करौली तहसील व जिला करौली राज0
5. शुभम बंसल पुत्र मुकेश बसंल आयू 25 साल जाति महाजन निवासी होली खिडकिया बाहर करौली तहसील व जिला करौली

---सायलान

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र जगदीश
2. मुकेश पुत्र जगदीश
3. नैहनजी पुत्र कल्ली
4. रामरूप पुत्र कल्ली
5. हरिचरण पुत्र कल्ली
6. विजयसिंह पुत्र जगदीश
7. शेरसिंह पुत्र जगदीश

} जाति गुर्जर निवासी जाखेर तहसील व जिला करौली राज0

8. आकाश पुत्र दयाराम
9. मुंशी पुत्र फूलचंद
10. लज्जाराम पुत्र फूलचंद
11. विकास पुत्र दयाराम
12. विशाल पुत्र दयाराम
13. विजयराम पुत्र रामधन

} जाति मीना निवासी ससेडी तहसील व जिला करौली राज0

14. कल्याण पुत्र रामसुखा
15. हरी प्रसाद पुत्र रामसुखा
16. रामप्रसाद पुत्र रामसुखा
17. कमल पुत्र नाथा
18. भरतलाल पुत्र नाथा
19. गुटठल पुत्र लल्लू
20. गिर्राज पुत्र वच्चू
21. बादशाह पुत्र वच्चू
22. महेन्द्र पुत्र वच्चू
23. सुशीला पत्नि वच्चू
24. चौथी लाल पुत्र सुन्दर
25. ठाकुर पुत्र सुन्दर
26. रूपा पुत्र सुन्दर
27. हरिसिंह पुत्र सुन्दर
28. तुलसी पुत्र रघुनन्दन
29. प्रहलाद पुत्र रघुनन्दन
30. श्याम लाल पुत्र रघुनन्दन
31. रामबाई पत्नि रघुनन्दन

} जाति माली निवासी ससेडी तहसील व जिला करौली

32. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील करौली राज0

---गैरसायलान

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

प्रार्थना–पत्र धारा 128 एल आर एक्ट

–::निर्णय::– दिनांकः–27.04.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण सायलान के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख.न. 139 रकवा 7.2835 वाके ग्राम जाखेर तहसील व जिला करौली मे स्थित है, जिससे गैरसायलान 1 ता 31 का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। सबूतन जमाबंदी संवत् 2073–2076 पेश है। प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नं0 139 वाके ग्राम जाखेर में स्थित है जो ग्राम ससेडी व ग्राम जाखेर की सीमा पर स्थित होने पर प्रार्थी के पडौसीयान जो ग्राम ससेडी की सीमा पर स्थित है व वार वार भूमि का सीमाज्ञान कराने के उपरान्त भी प्रार्थीगण की भूमि में सीमाविवाद उत्पन्न करते रहते है इसी प्रकार प्रार्थी के उत्तर में स्थित आराजी खसरा नं0 140 ग्राम जाखेर के खातेदारान गैर सायल सं0 1 ता 7 प्रार्थी की मेढ पर जबरन विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। प्रार्थी की भूमि का पूर्व उत्तर व पश्चिम दक्षिण के कोने पर दोनों ओर चौडाई कम होने से चोच नुमा स्थित में है। प्रार्थी की भूमि एक आक ओर नदी से लगी हुई है व शेष हिस्सा गैरसायल सं0 1 ता 31 से लगा हुआ है। प्रार्थी के भूमि के पूर्व स्थित ग्राम ससेडी की सीमा पर आराजी खसरा नं0 340 ग्राम ससेडी गैरसायल सं0 8 ता 13 के खातेदारी की एवं ख0न0 1269/318 एवं ख0न0 1278/318 ग्राम ससेडी गैरसायल सं0 14 के खातेदारी की भूमि है व ख0न0 1266/318 ग्राम ससेडी गैरसायल सं0 15 की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है इसी प्रकार ख0न0 1264/318 ग्राम ससेडी गैरसायल सं0 16 की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है व ख0न0 317 ग्राम ससेडी गैरसायल सं0 17 ता 31 के खातेदारी भूमि के उत्तरी पूर्वी कोने से सटी हुई है। उक्त लोग प्रार्थी की भूमि जो जाखेर गांव की सीमा में स्थित है पर ताकत के बल पर जबरन अनाधिकार प्रवेश कर अतिक्रमण करना चाहते हैं। इसी उद्वेश्य से गैरसायलान प्रार्थी की मेढ को प्रत्येक वर्ष नवीन मेढ बनाने का बहाना बनाकर प्रार्थी की भूमि से मिट्टी निकाल लेते है और भूमि में से फुट 2 फुट भूमि अपनी भूमि में मिलाने का प्रयास करते रहते है प्रार्थी ने उक्त सभी पडोसी खातेदारान की सहमति से व उनके समक्ष व आम ग्राम वासियों के समक्ष तहसीलदार करौली से दिनांक 20.05.2024 को भू.अभि.नि. मामचारी व पटवारी हल्का ससेडी से गैरसायल सं0 32 लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली के आदेश कमांक/एल.आर./2024/4194 के माध्यम से दिनांक 30.05.2024

अधिकारी (राज0)

को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करा लिया था और सभी लोग प्रार्थी की भूमि के सीमाज्ञान से संतुष्ट हो गये थे क्योंकि पटवरी हल्का ससेडी द्वारा दोनों गांव की सीमा के मुस्तकील पोईंटो से सभी पक्षकारान को संतुष्ट करते हुए ठीक प्रकार से सीमाज्ञान करा दिया था उसके उपरान्त भी गैरसायलान द्वारा जुलाई 2025 में नवीन डोल डालने के बहाने से प्रार्थी की भूमि की अनुचित खुदाई करने की दृष्टि से मनमाने तरीके से प्रार्थी की मेढ को जगह जगह से फोड दिय और प्रार्थी से नवीन डोल अपनी भूमि की ओर खिसकाते हुए डालने को कहा यही वजह प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए आवश्यक हुई है। प्रार्थीगण गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है। गैरसायलान समस्त एक ही गांव के व आपस में साज किये हुए है और प्रार्थीगण को परेशान कर प्रार्थीगण की भूमि को सीमा विवाद उत्पन्न करके जबरन ताकत के बल पर बेईमानी से अवैध व अनाधिकार रूप से हडपना चाहते हैं। इसी लिए प्रार्थी द्वारा कराये गये सीमाज्ञान से उक्त लोग संतुष्ट नही है। जुलाई 2025 में प्रार्थीगण की डोल को जगह जगह से तोडने के बाद गैरसायलान ने प्रार्थी की भूमि की ओर फुट दो फुट जमीन छोड कर नवीन डोल डालने के लिए कहा प्रार्थी ने उक्त लोगो से 30.05.2024 को कराये गये सीमाज्ञान में कराये गये मेड बंदी के बार में उक्त लोगों से कहा कि आप सब लोगो के समक्ष दोनों गांवो के मुस्तकिल मुकामों से सीमाज्ञान होने के उपरान्त आप लोगों की पूर्ण संतुष्टि से व सभी की सहमति से प्रार्थी ने अपनी भूमि की चारों ओर से पांच पांच फुट उंची डोल लाखों रूप्यों की लागत लगाकर तैयार कराई थी जिसे आप लोगों ने बेवजह नुकसान पहुचाने की गरज से तोड दिया तो गैरसायलान कहने लगे कि हम पटवारी हल्का द्वारा कराये गये सीमाज्ञान को नही मानते है, तुम तुम्हारी जमीन की तहसीलदार करौली द्वारा पत्थरगढी कराओ जिससे तहसीलदार की उपस्थिति में ठीक प्रकार से सभी पक्षकारों की भूमि अलग अलग हो जाये अन्यथा हम तुम्हारी डोल को बार बार तोडते रहेगें। गैरसायलान् का यह कृत्य अवैध व अनधिकार है। गैरसायल के इस कृत्य से प्रार्थीगण को भारी असुविधा व भारी अपूर्णीय क्षति है। सायलान का अपनी भूमि को काश्त करना संभव नही रहा है। प्रार्थीगण की मेड टूट जाने से प्रार्थीगण की भूमि से आवारा पशुओं द्वारा फसल को नष्ट कर देने से प्रार्थीगण को भारी आर्थिक क्षति होती है और प्रार्थीगण की फसल बरबाद होने से प्रार्थीगण के हकूको पर भारी कुठाराघात है। सायलान प्रार्थीगण अपनी भूमि ख0न0 139 रकवा 7.2835 है वाके ग्राम जाखेर पटवार हल्का ससेडी की पत्थरगढी गैरसायल स0 32 से कराने के अधिकारी है। जुलाई

अधिकारी करौली (राज.)

2025 में गैरसायलान द्वारा प्रार्थी की मेढ को जगह जगह से तोउने पर व अप्रार्थीगण गैरसायलान द्वारा सीमाज्ञान को नही मानने की कहने पर व तहसीलदार करौली से अपनी भूमि की पत्थर गढी कराने की कहने पर यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र अंदर मियाद पेश है। प्रार्थीगण की भूमि ग्राम जाखेर पटवार हल्का ससेडी तहसील करौली में व गैरसायलान की भूमि भी ग्राम जाखेर व ग्राम ससेडी पटवार हल्का ससेडी तहसील करौली में स्थित होने से श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में है और प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का अधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है। अंत में पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी नंबर 1 ता 18, 20 ता 23, 26 ता 32 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं अप्रार्थी नंबर 19, 24, 25 को दिनांक 20.04. 2026 को नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये गये।

बहस वकील एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण सायलान के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख.न. 139 रकवा 7.2835 वाके ग्राम जाखेर तहसील व जिला करौली मे स्थित है, जिससे गैरसायलान 1 ता 31 का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है। सबूतन जमाबंदी संवत् 2073–2076 पेश है। प्रार्थीगण के उक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नं0 139 वाके ग्राम जाखेर में स्थित है जो ग्राम ससेडी व ग्राम जाखेर की सीमा पर स्थित होने पर प्रार्थी के पडौसीयान जो ग्राम ससेडी की सीमा पर स्थित है व वार वार भूमि का सीमाज्ञान कराने के उपरान्त भी प्रार्थीगण की भूमि में सीमाविवाद उत्पन्न करते रहते है इसी प्रकार प्रार्थी के उत्तर में स्थित आराजी खसरा नं0 140 ग्राम जाखेर के खातेदारान गैर सायल सं0 1 ता 7 प्रार्थी की मेढ पर जबरन विवाद उत्पन्न कर रहे हैं। प्रार्थी की भूमि का पूर्व उत्तर व पश्चिम दक्षिण के कोने पर दोनों ओर चौडाई कम होने से चोच नुमा स्थित में है। प्रार्थी की भूमि एक आक ओर नदी से लगी हुई है व शेष हिस्सा गैरसायल सं0 1 ता 31 से लगा हुआ है। प्रार्थी के भूमि के पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

स्थित ग्राम ससेडी की सीमा पर आराजी खसरा नं0 340 ग्राम ससेडी गैरसायल सं0 8 ता 13 के खातेदारी की एवं ख0न0 1269/318 एवं ख0न0 1278/318 ग्राम ससेडी गैरसायल सं0 14 के खातेदारी की भूमि है व ख0न0 1266/318 ग्राम ससेडी गैरसायल सं0 15 की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है इसी प्रकार ख0न0 1264/318 ग्राम ससेडी गैरसायल सं0 16 की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है व ख0न0 317 ग्राम ससेडी गैरसायल सं0 17 ता 31 के खातेदारी भूमि के उत्तरी पूर्वी कोने से सटी हुई है। उक्त लोग प्रार्थी की भूमि जो जाखेर गांव की सीमा में स्थित है पर ताकत के बल पर जबरन अनाधिकार प्रवेश कर अतिक्रमण करना चाहते हैं। इसी उद्वेश्य से गैरसायलान प्रार्थी की मेढ को प्रत्येक वर्ष नवीन मेढ बनाने का बहाना बनाकर प्रार्थी की भूमि से मिट्टी निकाल लेते है और भूमि में से फुट 2 फुट भूमि अपनी भूमि में मिलाने का प्रयास करते रहते है प्रार्थी ने उक्त सभी पडोसी खातेदारान की सहमति से व उनके समक्ष व आम ग्राम वासियों के समक्ष तहसीलदार करौली से दिनांक 20.05.2024 को भू.अभि.नि. मामचारी व पटवारी हल्का ससेडी से गैरसायल सं0 32 लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली के आदेश क्रमांक/एल. आर./2024/4194 के माध्यम से दिनांक 30.05.2024 को अपनी भूमि का सीमाज्ञान करा लिया था और सभी लोग प्रार्थी की भूमि के सीमाज्ञान से संतुष्ट हो गये थे क्योंकि पटवरी हल्का ससेडी द्वारा दोनों गांव की सीमा के मुस्तकील पोईंटो से सभी पक्षकारान को संतुष्ट करते हुए ठीक प्रकार से सीमाज्ञान करा दिया था उसके उपरान्त भी गैरसायलान द्वारा जुलाई 2025 में नवीन डोल डालने के बहाने से प्रार्थी की भूमि की अनुचित खुदाई करने की दृष्टि से मनमाने तरीके से प्रार्थी की मेढ को जगह जगह से फोड दिय और प्रार्थी से नवीन डोल अपनी भूमि की ओर खिसकाते हुए डालने को कहा यही वजह प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए आवश्यक हुई है। प्रार्थीगण गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है। गैरसायलान समस्त एक ही गांव के व आपस में

खण्ड अधिकारी करौली (राज0)

साज किये हुए है और प्रार्थीगण को परेशान कर प्रार्थीगण की भूमि को सीमा विवाद उत्पन्न करके जबरन ताकत के बल पर बेईमानी से अवैध व अनाधिकार रूप से हडपना चाहते हैं। इसी लिए प्रार्थी द्वारा कराये गये सीमाज्ञान से उक्त लोग संतुष्ट नही है। जुलाई 2025 में प्रार्थीगण की डोल को जगह जगह से तोडने के बाद गैरसायलान ने प्रार्थी की भूमि की ओर फुट दो फुट जमीन छोड कर नवीन डोल डालने के लिए कहा प्रार्थी ने उक्त लोगो से 30.05.2024 को कराये गये सीमाज्ञान में कराये गये मेड बंदी के बार में उक्त लोगों से कहा कि आप सब लोगो के समक्ष दोनों गांवो के मुस्तकिल मुकामों से सीमाज्ञान होने के उपरान्त आप लोगों की पूर्ण संतुष्टि से व सभी की सहमति से प्रार्थी ने अपनी भूमि की चारों ओर से पांच पांच फुट उंची डोल लाखों रूप्यों की लागत लगाकर तैयार कराई थी जिसे आप लोगों ने बेवजह नुकसान पहुचाने की गरज से तोड दिया तो गैरसायलान कहने लगे कि हम पटवारी हल्का द्वारा कराये गये सीमाज्ञान को नही मानते है, तुम तुम्हारी जमीन की तहसीलदार करौली द्वारा पत्थरगढी कराओ जिससे तहसीलदार की उपस्थिति में ठीक प्रकार से सभी पक्षकारों की भूमि अलग अलग हो जाये अन्यथा हम तुम्हारी डोल को बार बार तोडते रहेगें। गैरसायलान का यह कृत्य अवैध व अनधिकार है। गैरसायल के इस कृत्य से प्रार्थीगण को भारी असुविधा व भारी अपूर्णीय क्षति है। सायलान का अपनी भूमि को काश्त करना संभव नही रहा है। प्रार्थीगण की मेड टूट जाने से प्रार्थीगण की भूमि से आवारा पशुओं द्वारा फसल को नष्ट कर देने से प्रार्थीगण को भारी आर्थिक क्षति होती है और प्रार्थीगण की फसल बरबाद होने से प्रार्थीगण के हकूको पर भारी कुठाराघात है। सायलान प्रार्थीगण अपनी भूमि ख0न0 139 रकवा 7.2835 है वाके ग्राम जाखेर पटवार हल्का ससेडी की पत्थरगढी गैरसायल स0 32 से कराने के अधिकारी है। जुलाई 2025 में गैरसायलान द्वारा प्रार्थी की मेढ को जगह जगह से तोउने पर व अप्रार्थीगण गैरसायलान द्वारा सीमाज्ञान को नही

खण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मानने की कहने पर व तहसीलदार करौली से अपनी भूमि की पत्थर गढी कराने की कहने पर यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थना पत्र अंदर मियाद पेश है। प्रार्थीगण की भूमि ग्राम जाखेर पटवार हल्का ससेडी तहसील करौली में व गैरसायलान की भूमि भी ग्राम जाखेर व ग्राम ससेडी पटवार हल्का ससेडी तहसील करौली में स्थित होने से श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में है और प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का अधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

–::आदेश::–

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम जाखेर तहसील करौली में उसके खाते की कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 139 रकबा 7.2835 है0 की पत्थरगढ़ी, बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए तहसीलदार, करौली को 1500/–रूपये फीस पर कमिशनर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। तहसीलदार, करौली सभी पडौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र के समय एवं तिथि सूचित करेंगे। मौके पर खडी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर सीमांकन कर पत्थरगढी किऐ जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, करौली को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)